"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 मई 2014—वैशाख 12, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री मयंक वरवड़े, भा.प्र.से. (बिहार, 2001), संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्रीमती संगीता पी., भा.प्र.से. (सी.जी.: 2004) उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें अपर विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

श्री मयंक वरवड़े, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2005) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जावेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री अमित कटारिया, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2004), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण एवं उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला गरियाबंद के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री हेमंत कुमार पहारे, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2002), कलेक्टर, गरियाबंद को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री एस. एल. रात्रे, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2000), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एन. एस. मंडावी, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2000), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉड, मुख्य सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2014

क्रमांक-एफ 7-07/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सहसपुर-लोहारा निवेश क्षेत्र, जिला कबीरधाम का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

सहसपुर-लोहारा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम पीपरटोला छोटा, छोटूपारा, सहसपुर-लोहारा एवं बांधाटोला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम बांधाटोला, सहसपुर-लोहारा, भीमपुरी एवं बाम्हनटोला ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम बाम्हनटोला, लखनपुर एवं बासीनझोरी ग्रामों को दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम बासीनझोरी, बानो एवं पीपरटोला छोटा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2014

क्रमांक-एफ 7-08/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बोड़ला निवेश क्षेत्र, जिला कबीरधाम का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

बोड़ला निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम भंडार एवं लालपुरखुर्द ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम लालपुरखुर्द, बोड़ला एवं मुडियापारा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मुडियापारा, मंडलाटोला, सुकवापारा, जैताटोला एवं चेंहटा ग्रामों को दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम चेंहटा, बोड़ला एवं भंडार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ 4-8/2006/32.—श्री देवेन्द्र सिंह भा.व.से. (1988), संचालक ग्राम उद्योग, हाथ करघा एवं रेशम तथा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं ग्राम उद्योग विभाग की सेवाएं इस विभाग को सौंपी गई है, को जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4 (2) (एफ) के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2014

क्रमांक एफ 2-12/2013/स्था/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संचालनालय, छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

इन नियमों में,—

अनुसूची-एक, दो एवं तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन
		स्थायी	अस्थायी	कुल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	संयुक्त संचालक	—	1	1	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	15600—39100	7600
2.	उप संचालक, वित्त	—	1	1	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	15600—39100	6600
3.	सांख्यिकी अधिकारी	—	1	1	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600—39100	5400
4.	प्रोग्रामर	—	1	1	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600—39100	5400
5.	सहायक लेखा अधिकारी	—	2	2	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300—34800	4300
6.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	—	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300—34800	4300
7.	सहायक प्रोग्रामर	—	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300—34800	4300
8.	शीघ्रलेखक, हिन्दी	—	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	2800
9.	शीघ्रलेखक, अंग्रेजी	—	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	2800
10	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	—	4	4	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	2400
11	सहायक ग्रेड—दो	—	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	2400
12	सहायक ग्रेड—तीन	—	3	3	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	1900
13	वाहन चालक	—	2	2	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	1900
14	भृत्य	—	3	3	अराजपत्रित चतुर्थ श्रेणी	4750—7440	1300

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती की प्रकिया

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पद का नाम	सेवा में पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			सीधी भर्ती हेतु समिति के सदस्य	टिप्पणियाँ
				सीधी भर्ती /चयन द्वारा नियम 6(1) (क) देखिये	पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1)(ख) देखिये	स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियम 6(1) (ग) देखिये		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा	1. संयुक्त संचालक	1	–	–	100%		राज्य वित्त सेवा की प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित
		2. उप संचालक, वित्त	1	–	–	100%		राज्य वित्त सेवा की प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित
		3 सांख्यिकी अधिकारी	1	–	–	100%		योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित
		4. प्रोग्रामर	1	100%	–	–	1.अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का सदस्य– अध्यक्ष 2.प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग– सदस्य 3.संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़–सदस्य 4. यदि उपरोक्त समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो संचालक वित्तीय प्रबंध एवं	

						सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ आरक्षित प्रवर्ग से वरिष्ठ अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करेगा।	
	5. सहायक लेखा अधिकारी	2	—	—	100%		अधीनस्थ लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित
	6. सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	—	—	100%		योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित
	7. सहायक प्रोग्रामर	1	—	100%	—		
	8. शीघ्रलेखक	2	100%	—	—	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक /उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो — अध्यक्ष 2. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई तकनीकी अधिकारी—सदस्य 3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी—सदस्य	
	9. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	4	100%	—	—	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक /उप संचालक के वेतनमान से	

							कम वेतनमान का न हो– अध्यक्ष 2. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई तकनीकी अधिकारी– सदस्य 3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी–सदस्य	
		10. सहायक ग्रेड–दो	1	–	100%	–		
		11. सहायक ग्रेड–तीन	3	75%	25%	–	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक /उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो– अध्यक्ष 2. आयुक्त/ संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक /उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो –सदस्य 3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी–सदस्य	
		12. वाहन चालक	2	100%	–	–	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक	

							/उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो– अध्यक्ष 2. आयुक्त/ संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक / उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो–सदस्य 3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी–सदस्य	
		13. भृत्य	3	100%	—	—	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक/उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो–अध्यक्ष 2. आयुक्त/ संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक/ उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो–सदस्य 3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी–सदस्य	

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा	प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष	1.(क) कम्प्यूटर साईंस में इंजीनियरिंग की उपाधि अथवा (ख)कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर उपाधि
		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री में 8,000 (Key) की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)
		शीघ्रलेखक	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था /शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से:–

					(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए— हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए— अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए— ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 (Key) की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।
		सहायक ग्रेड—तीन	—तदैव—	—तदैव—	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र। (3) हिन्दी कम्प्यूटर टाइपिंग में 5,000 (Key) की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।

		वाहन चालक	–तदैव–	–तदैव–	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्थान से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण तथा हल्के मोटरयान चालन में वैध ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए।
		भृत्य	–तदैव–	–तदैव–	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्थान से 5वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

टीपः– छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा, राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिल होगी।"

No. F 2-12/2013/Estt./IV.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Directorate, Chhattisgarh Financial Management and Information System Services (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For Schedule-I, II and III the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-I
(See Rule 5)

Classification of Service, Pay scale and Number of Posts included in the Service

S. No.	Name of the Post included in the Service	Number of Posts			Classification	Pay-Scale	Grade Pay
		Permanent	Temporary	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Joint Director	-	1	1	Gazetted Class I	15600-39100	7600
2.	Deputy Director, Finance	-	1	1	Gazetted Class I	15600-39100	6600
3.	Statistical Officer	-	1	1	Gazetted Class II	15600-39100	5400
4.	Programmer	-	1	1	Gazetted Class II	15600-39100	5400
5.	Assistant Account Officer	-	2	2	Non-Gazetted Class III	9300-34800	4300
6.	Assistant Statistical Officer	-	1	1	Non-Gazetted Class III	9300-34800	4300
7.	Assistant Programmer	-	1	1	Non-Gazetted Class III	9300-34800	4300
8.	Stenographer, Hindi	-	1	1	Non-Gazetted Class III	5200-20200	2800
9.	Stenographer, English	-	1	1	Non-Gazetted Class III	5200-20200	2800
10.	Data Entry Operator	-	4	4	Non-Gazetted Class III	5200-20200	2400

11.	Assistant Grade-II	-	1	1	Non-Gazetted Class III	5200-20200	2400
12.	Assistant Grade-III	-	3	3	Non-Gazetted Class III	5200-20200	1900
13.	Driver	-	2	2	Non-Gazetted Class III	5200-20200	1900
14.	Peon	-	3	3	Non-Gazetted Class IV	4750-7440	1300

SCHEDULE-II
(See Rule 6)
Process of Recruitment

Name of the Department	Name of Service	Name of Post in Service	Number of Posts in Service	Percentage of the number of posts to be filled in			Members of Committee for Direct Recruitment	Remarks
				By direct recruitment /selection vide Rule 6(1)(a)	By promotion vide Rule 6(1)(b)	By transfer or deputation vide Rule 6(1)(c)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Finance Department	Chhattisgarh Financial Management and Information System Service	1. Joint Director	1	-	-	100%		Reserved for Deputation from State Finance Services
		2.Deputy Director, Finance	1	-	-	100%		Reserved for Deputation from State Finance Services
		3.Statistical Officer	1	-	-	100%		Reserved for Deputation from Planning, Economics and Statistics Department
		4.Programmer	1	100%	-	-	1.Chairman, Public Service Commission or member of Commission nominated by him/her - Chairman 2.Principal Secretary /Secretary, Finance Department -Member 3.Director,Financial Management and Information System, Chhattisgarh-Member 4. If there is no representation of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in the aforesaid Committee, the Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh shall nominate senior officer from reserved class.	

		5.Assistant Accounts Officer	2	-	-	100%		Reserved : Deputation from Sub-ordinate Account Services
		6.Assistant Statistical Officer	1	-	-	100%	-	Reserved for Deputation from Planning, Economics and Statistics Department
		7.Assistant Programmer	1	-	100%	-		
		8.Stenographer	2	100%	-	-	1.Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh- Chairman 2.Any Technical Officer nominated by Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh- Member 3.A representative Officer from Reserved Class - Member	
		9.Data Entry Operator	4	100%	-	-	1.Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh-Chairman 2.Any Technical Officer nominated by Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh-Member 3.A representative Officer from Reserved Class - Member	
		10. Assistant Grade-II	1	-	100%	-		
		11. Assistant Grade-III	3	75%	25%	-	1.Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management and Information System , Chhattisgarh-Chairman 2.Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Commissioner/ Director Treasury, Accounts and Pension, Chhattisgarh- Member 3.A representative Officer from Reserved Class - Member	

		12. Driver	2	100%	-	-	1.Any officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management and Information System , Chhattisgarh-Chairman 2.Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Commissioner/ Director Treasury, Accounts and Pension, Chhattisgarh-Member 3.A representative Officer from Reserved Class-Member	
		13. Peon	3	100%	-	-	1.Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management and Information System , Chhattisgarh-Chairman 2. Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Commissioner/ Director Treasury, Accounts and Pension, Chhattisgarh-Member 3. A representative Officer from Reserved Class - Member	

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

Name of the Department	Name of Service	Name of Post in Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	Chhattisgarh Financial Management and Information System Service	Programmer	21 years	30 years	1.(a)Bachelor of Engineering in Computer Science OR (b)Master Degree in Computer Applications
		Data Entry Operator	18 years	30 years	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).
		Stenographer	...do...	...do....	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) From any recognized Board/Institute /Stenography (Shorthand) Typing Council:- (a) For Stenographer (Hindi)- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) For Stenographer (English)- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (c) For Bilingual Stenographer- Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).

		Assistant Grade III	..do...	...do....	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).
		Driver	..do...	...do....	Should have passed 8th Class Examination from Board/Institution recognized by Government and should possess a valid L.M.V. Driving License.
		Peon	..do...	...do....	Should have passed 5th Class Examination from Board/Institution recognized by Government.

Note:- The maximum age limit for candidates of domicile of Chhattisgarh State shall be relaxed in accordance with the directions issued by the General Administration Department of State Government, from time to time."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 5 अप्रैल 2014

क्रमांक/86/भू-अर्जन/कोरिया 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	खरला	0.14	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	मुड़धोवा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 5 अप्रैल 2014

क्रमांक/88/भू-अर्जन/कोरिया 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मुड़धोवा	0.78	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	मुड़धोवा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 5 अप्रैल 2014

क्रमांक/90/भू-अर्जन/कोरिया 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	कोथारी	1.18	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, ज़िला-कोरिया (छ.ग.)	सिरियाखोह व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 5 अप्रैल 2014

क्रमांक/92/भू-अर्जन/कोरिया 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	सिरियाखोह	4.16	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	सिरियाखोह व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible], कलेक्टर एवं पदेन उप-**सचिव**.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0026/अ.भू-अ.प्र./01/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-दुर्ग
  (ग) नगर/ग्राम-दुर्ग, प.ह.नं. 24
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.017 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	484/2, 491/2	0.017
योग	1	0.017

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगर पहुंच मुख्य मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अ. । 2014

क्रमांक/0029/अ.भू-अ.प्र./04/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-पुलगांव, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.071 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	137/1	0.021
	137/2	0.012
	138	0.008
	139	0.008
	140	0.019
	136/6, 7	0.003
योग	6	0.071

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुर्ग-बालोद मार्ग में पुलगांव नाला सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0032/अ.भू-अ.प्र./03/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-दुर्ग, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.092 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	484/1	0.053
	486/1, 486/4	0.039
योग	2	0.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुर्ग-बालोद मार्ग में पुलगांव नाला सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0035/अ.भू-अ.प्र./08/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-डुण्डेरा, प.ह.नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1042	0.08
योग	1	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उतई डुण्डेरा पहुंच मार्ग सड़क निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0038/अ.भू-अ.प्र./13/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-धमधा
 (ग) नगर/ग्राम-नंदौरी, प.ह.नं. 50
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	774	0.18
	773/1	0.20
योग	2	0.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0041/अ.भू-अ.प्र./11/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-धमधा
 (ग) नगर/ग्राम-अरसी, प.ह.नं. 17
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1140	0.33
योग	1	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरसी लिटिया पहुंच मुख्य मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0044/अ.भू-अ.प्र./02/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-धमधा
 (ग) नगर/ग्राम-पंचदेवरी, प.ह.नं. 40
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	580	0.020
योग	1	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खपरी-पंचदेवरी मार्ग में खपरीनाला पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0047/अ.भू-अ.प्र./05/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी, प.ह.नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	205/4	0.01
योग	1	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खपरीनाला पर पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0050/अ.भू-अ.प्र./12/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-लिमतरा, प.ह.नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.968 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	237/1	0.020
	237/4	0.020
	237/5	0.040
	327/2	0.080
	327/3	0.080
	163/1	0.048
	166/1	0.040
	163/2	0.020
	166/2	0.060
	166/3	0.020
	167	0.040
	168	0.040
	195	0.120
	193/2	0.080
	192/2	0.060
	191	0.200
योग	16	0.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0053/अ.भू-अ.प्र./10/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-खुरसीडीह, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.34 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	173	0.17
	174	0.09
	175	0.22
	176	0.10
	177	0.56
	179	0.40
	181	0.80
योग	7	2.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरदा जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0056/अ.भू-अ.प्र./04/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हेखुर्द, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	362	0.06
योग	1	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साल्हेखुर्द जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0059/अ.भू-अ.प्र./07/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-अरसी, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/1	0.03
20/2	0.03
20/3	0.04

(1)	(2)
20/4	0.04
24	0.29
25	1.97
45	0.20
48	0.35
49/1	0.12
50	0.35
555	0.02
49/2	0.12
554	0.02
49/3	0.12
51	2.64
52/1	0.40
52/2	0.40
535/1	0.06
556	0.03
537	0.04
538	0.01
548	0.01
546	0.04
560	0.02
547	0.02
553	0.02
557	0.02
558	0.04
योग 28	7.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुमाखुर्द जलाशय के नहर निर्माण एवं डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0062/अ.भू-अ.प्र./09/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-भिमौरी, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	101	0.02
योग	1	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरी भिमौरी एनीकट कम रपटा बाढ़ नियंत्रण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0065/अ.भू-अ.प्र./14/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	666	0.05
योग	1	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पावर पुलिंग स्टेशन निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्रमांक/0068/अ.भू-अ.प्र./15/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-मेडेसरा, प.ह.नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1369	0.23
योग	1	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पावर पुलिंग स्टेशन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अप्रैल 2014

क्रमांक क/4864/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कुलबा, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.49 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
375/2	0.05
375/3	0.07
375/4, 375/5, 375/6	0.30
376/1	0.50
376/2	0.50
377	0.50
431	0.57
395/1	0.42
395/3, 399	0.60
395/4	0.20
395/5	0.41
396, 397/2	0.33
398	0.26
432	0.40
400/1	0.44
401/2	0.42
400/2	0.10
401/1	0.64
401/4	0.28
433/1	0.34

(1)	(2)
433/2	0.16
योग	7.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन.(रेल्वे लाईन) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कर्राजोर, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.435 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
209/31क	0.020
321/1	0.004
353/3क	0.069
312/8	0.020
323/3	0.057
125	0.012
343/14	0.012
323/1	0.081
201/31ग	0.040
194/4	0.097
145/1	0.041
योग 11	0.435

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत छिंच माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कुरमापाली, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.486 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
455/1ट	0.028
446/1	0.100
534/4ख	0.022
511	0.006
145/1झ	0.053
532/3	0.028
445/1ख	0.101
445/2	0.028

	(1)	(2)
	532/2	0.028
	507/1	0.028
	445/2ख	0.032
	534/3ख	0.032
	508/1	0.008
योग	13	0.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत धनगांव वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सुर्री, प.ह.नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.341 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	673/6	0.081
	635/1क	0.045
	673/7	0.041
	644/2	0.020
	635/1क	0.044
	626/2ख	0.041
	644/1	0.020
	708/1	0.049
योग	8	0.341

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत छिंच माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुवि गीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा कता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अ ैल 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कोतासुरा, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.853 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
883/5	0.028
754/2	0.044
949/3	0.089
751/4	0.008
79/3	0.124
886/3	0.138
949/4	0.230
746/3	0.008
546/1	0.020
886/4	0.064
519/2	0.028
746/5	0.024
113	0.020
746/4	0.024

	(1)	(2)
	550/1	0.004
योग	15	0.853

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-लोहरसिंग, प.ह.नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.819 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1102/4	0.090
	998	0.115
	995/2	0.041
	988/6	0.240
	997/2	0.012
योग	5	0.498

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत छिंच माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सारसमाल, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.141 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	389/2	0.052
	385/1	0.048
	386	0.041
योग	3	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत छिंच माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 960.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1004 दिनांक 31 मई 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह वैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31 मई 2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बरहागुड़ा/25	229/1, 2	0.202
			228/1, 2, 3, 4, 5, 6	0.240
			227/1, 2, 3	0.056
			187	0.040
			188	0.061
			189	0.065
			190	0.101
			191	0.040
			192	0.056
			223	0.121

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			193	0.025
			222	0.184
			195	0.024
			199	0.105
			200	0.239
			205	0.040
			143	0.045
			142	0.121
			206	0.004
			137	0.240
			103	0.024
			104/1, 2	0.387
			105	0.142
			106/1, 2	0.048
			135/1क, ख, 135/2, 3, 4	0.064
			136	0.121
			141/1, 2, 3, 4	0.080
			योग	**2.875**

डभरा, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 962.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1017 दिनांक 31 मई 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह वैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31 मई 2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गोपालपुर	120	0.320
			118/8	0.088
			121	0.218
			118/4, 131/2	0.283
			132/1	0.103
			131/3	0.160
			138/1, 138/2	0.121
			132/3	0.080
			137/1	0.064
			136/1	0.765
			167	0.121
			163/14	0.056
			157/2	0.024
			163/13	0.176
			157/1	0.160
			योग	**2.739**

के. के. शर्मा,
सक्षम अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).